9/4/18 पक्षावली प्रस्तुत। प्रकरण पक्षकारगण/ पक्षावली हेतु पश्चात आगे दिनांक 21/5/18 को पेश हो।

29/6/18 पक्षावली पेश हुई। पक्षावली का अवलोकन किया। प्रकरण संख्या 58/16 एवं प्रकरण संख्या 29/16 समान रवसराम व समान पक्षकारान का है इसलिए प्रकरण संख्या 58/16 एवं 29/16 दोनों को एकसाथ चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रकरण संख्या 58/16 प्रकरण संख्या 29/16 के संलग्न किया जाता है। प्रकरण नामत: के कर किया जाता। वादतकमील बाकिया बहाल हो।

दिनांक 29/6/18 को पुनरस्थ गया।